प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

वित्तीय वर्ष 2016-2017

अनुदान संख्या व नाम: 13-ग्राम्य विकास विभाग

(धनराशि हजार रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा। | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनागत | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध मूल अनुदान/ विनियोग | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-<br>04- जिला तथा अन्य सड़कें-<br>337- सड़क निर्माण कार्य-<br>02- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-<br>0201- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)- | | | | | |
| 24- वृहत निर्माण कार्य | 2413660 | 2402200 | 2402200 | 2402200 | 11460 |
| योग- | 2413660 | 2402200 | 2402200 | 2402200 | 11460 |

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा। | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-<br>04- जिला तथा अन्य सड़कें-<br>337- सड़क निर्माण कार्य-<br>03- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)- | | | | | |
| 24- वृहत निर्माण कार्य | 9329657 | 11731857 | 2402200 | 2402200 | 11731857 |
| योग- | 9329657 | 11731857 | 2402200 | 2402200 | 11731857 |

(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

अनुदान संख्या-13 मद में कुल बजट प्राविधान रू0 1484.57 करोड़ के सापेक्ष अन्नतिम रूप से बचत सम्भावित हुयी है।

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

आवश्यकता के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा की गयी व्यवस्थानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड मद में Financial Incentive के रूप में केन्द्रांश दिये जाने हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त में उत्तर प्रदेश बजट संख्या-R.E-617 /ई-2-146-दस/2016, दिनांक-17 मार्च, 2017 मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद ।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

बाराती लाल
उप सचिव
वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या:- 5/2017/पी-147/अड़तीस-9-2017-05(बजट)/2015, दिनांक-17 मार्च, 2017**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
4 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6 - वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।